

ज्ञापन

श्रीमती अंजली मिश्रा, पूर्व-एमटीएस, जो 31.05.2026 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गई हैं, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25.09.08 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/3/2008-स्था.(एल) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनके खाते में जमा 173 दिनों (एक सौ तिहत्तर दिनों) के अर्जित अवकाश और 16 दिनों (सोलह दिनों) के अर्ध वेतन अवकाश के संबंध में अवकाश-वेतन के समान नकद भुगतान की अनुमति दी जाती है।



(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)

सचिव (प्र)

वितरण:

1	श्रीमती अंजली मिश्रा, पूर्व-एमटीएस, एमए 13, शांति कुंज, गरिया स्टेशन रोड, कोलकाता-700084	
2	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
3	ले.अ. (वेतन)	
4	उपाध्यक्ष के निजी शाखा	
5	वि.स.एवं मु.ले.अ./सचिव के नि.सह	
6	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7	टीबीइए	
8	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित